कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 353/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 08.09.2026

थाना–सरायमीर, जनपद–आजमगढ़

□ श्रीराम-जानकी मंदिर में चोरी की घटना का सरायमीर पुलिस ने किया सफल अनावरण, वांछित अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार

□ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मुकुट, नथुनी व नगदी चोरी करने वाली अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार; चोरी का माल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 05.09.2026 को समय करीब 14:38 से 14:45 बजे के मध्य थाना सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत नई बाजार स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर में अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्ता द्वारा मुख्य द्वार से प्रवेश कर रामदरबार एवं दुर्गा माता के गर्भगृह में जाकर वहां रखे चांदी के मुकुट, पीली धातु की नथुनी एवं नगदी चोरी कर ली गई थी। चोरी किए गए सामान को अभियुक्ता द्वारा एक स्थान पर झाड़ियों में छिपा दिया गया था। इस संबंध में दिनांक 06.09.2026 को थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 305(D) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

➡□ आज दिनांक 08.09.2026 को थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अंतर्जनपदीय शातिर अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान एवं नगदी बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी–

- 01 अदद सफेद धातु का चिपटा मुकुट।

- 01 अदद पीली धातु की नथुनी, जिसमें सफेद व काला नग लगा है।

- ₹403 नगद।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास–

अभियुक्ता के विरुद्ध जनपद जौनपुर एवं अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों में चोरी, चोरी के माल से संबंधित अपराध एवं आबकारी अधिनियम के कुल 07 अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, हे0का0 धीरज मिश्रा, का0 आलोक सिंह एवं म0का0 संजू सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़ ।
दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए ₹25,000 साइबर हेल्पडेस्क ने कराए वापस

शिकायतकर्ता **शशिकला यादव पत्नी वर्णित यादव, निवासी रसुलपुर जोखू, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़** द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई कि रिश्तेदार को पैसा भेजते समय गलती से **₹25,000/- दूसरे खाते में ट्रांसफर** हो गए। जिस खाते में धनराशि गई थी, उसके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा पैसा वापस करने से मना कर दिया गया।

जिसके सम्बन्ध में प्रार्थनी द्वारा दर्ज कराये गये शिकायत की जाँच **साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर** द्वारा करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया गया तथा यूनियन बैंक के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबन्धक से दूरभाष एवं ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर **गलती से ट्रांसफर हुई ₹25,000/- की सम्पूर्ण धनराशि शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई।**
साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर टीम- उ0नि0 दयानन्द, म0का0 पूजा पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़
डिलीवरी के नाम पर हुए साइबर फ्रॉड में 32,000 रुपये की धनराशि साइबर टीम ने कराई वापस

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आवेदिका वंदना श्रीवास्तव पत्नी अश्वनी श्रीवास्तव निवासी निराला नगर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ के मोबाइल पर डिलीवरी करने के नाम पर फोन आया। फोन करने वाले के झांसे में आकर आवेदिका द्वारा कुल 1,26,999 रुपये की धनराशि भेज दी गई। बाद में साइबर फ्रॉड का एहसास होने पर आवेदिका द्वारा तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई।

थाना कोतवाली की साइबर टीम द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए नियमानुसार संबंधित बैंक एवं संबंधित माध्यमों से समन्वय स्थापित किया गया। साइबर टीम के प्रयास से फ्रॉड की गई धनराशि में से **32,000 रुपये आवेदिका के खाते में वापस कराए गए।** शेष धनराशि की वापसी हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

आमजन से अपील-
किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल **साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930** पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही संबंधित बैंक को तत्काल सूचित कर लिखित प्रार्थना पत्र दें तथा अपने नजदीकी थाने पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सागर कुमार रंगू, का0 नीरज पटेल, का0 राजन गौड़, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।